उत्तर प्रदेश पाठ्य-पुस्तक अधिनियम, 1978

(संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 7, 1979)

THE UTTAR PRADESH COURSE BOOKS ACT, 1978

(U.P. Act No. 7 of 1979)

उत्तर प्रदेश पाठ्य–पुस्तक अधिनियम, 1978[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 7, सन् 1979]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 24 अगस्त, 1978 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 6 नवम्बर, 1978 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया ।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 15 फरवरी, 1979 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 20 फरवरी, 1979 को प्रकाशित हुआ।]

जनसाधारण के हित में, पाठ्य–पुस्तकों के निर्माण, प्रदाय, वितरण, व्यापार और वाणिज्य पर नियन्त्रण रखने के लिए और उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पाठ्य–पुस्तक अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

परिभाषाएं

2–इस अधिनियम में :––

(क) "परिषद्" का तात्पर्य माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश से है ;

(ख) "पाठय–पुस्तक" का तात्पर्य शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश या परिषद् या उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खण्ड (20) में परिभाषित किसी विश्वविद्यालय द्वारा विहित या संस्तुत या उनके पाठ्यक्रमों के अनुसार लिखी गई और धारा 7 के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट या निर्दिष्ट किसी पुस्तक से है ;

(ग) "रियायती दर के कागज" का तात्पर्य उस कागज से है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाय और प्रकाशकों को राज्य सरकार के माध्यम से आवंटित किया जाय ;

(घ) "व्यापारी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो किन्हीं पाठ्य–पुस्तकों के, चाहे थोक में (चाहे मुद्रक या प्रकाशक या वितरक के रूप में) या फुटकर में क्रय, विक्रय या विक्रय के लिए संग्रह करने के कारोबार में लगा हो, और इसके अन्तर्गत उसका प्रतिनिधि या अभिकर्ता भी है ;

(ङ) "निदेशक" का तात्पर्य शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश से है ;

(च) पाठ्य–पुस्तक के सम्बन्ध में, "अधिसूचित मूल्य" का तात्पर्य उस मूल्य से है जो धारा 7 के अधीन जारी की गयी अधिसूचना में उसके सामने अंकित है, और ऐसी अधिसूचना के जारी होने तक, उस मूल्य से है जो उत्तर प्रदेश पाठ्य–पूस्तक आदेश, 1975 में इंगित है ;

---

1. उद्देश्यो और कारणो के विवरण के लिए उ0 प्र0 सरकारी असाधारण गजट, दिनांक 10 मई, 1978 देखिये ।

(छ) "विहित प्राधिकारी" का तात्पर्य जिला मजिस्ट्रेट से है, और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन अपने किसी कृत्य का सम्पादन करने के लिये उसके द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी भी है ;

(ज) "विवरण पत्रिका" का तात्पर्य परिषद् द्वारा हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए समय–समय पर जारी की गयी "विवरण पत्रिका" से है ;

(झ) "प्रकाशक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो परिषद् द्वारा हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कक्षाओं में उपयोग के लिए विहित पाठ्यक्रम के अनुसार या शिक्षा विभाग द्वारा पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक के लिए विहित पाठ्क्रम के अनुसार तैयार की गयी कोई पुस्तक प्रकाशित करता है, और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो कोई पाठ्य–पुस्तक प्रकाशित करता है ।

व्यापारी न विक्रय से विमुख होगा न अधिक मूल्य लेगा

3–(1) कोई व्यापारी ––

(क) अपने स्टाक में विद्यमान किसी पाठ्य–पुस्तक के विक्रय से विमुख नहीं होगा; या

(ख) किसी पाठ्य–पुस्तक के लिये अधिसूचित मूल्य से अधिक मूल्य नहीं लेगा ।

(2) कोई प्रकाशक इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्––

(क) यथासथिति, परिषद् या शिक्षा विभाग द्वारा किसी कक्षा में उपयोग के लिये विहित या संस्तूत ;

(ख) उस विषय के सम्बन्ध में, जिसके लिए परिषद् ने कोई पुस्तक संस्तुत या अनुमोदित न की हो, पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित, किसी पाठ्य–पुस्तक को मुद्रित या प्रकाशित करने के लिए रियायती दर के कागज से भिन्न किसी कागज का उपयोग नहीं करेगा।

परन्तु यदि किसी कारणवश किसी प्रकाशक को रियायती दर का कागज उपलब्ध न कराया जा सके तो, इस उपधारा कि किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि उस प्रकाक्षक से, ऊपर निर्दिष्ट किसी पूस्तक के मुद्रण या प्रकाशन के लिए रियायती दर के कागज का उपयोग करना अपेक्षित है ।

पाठ्य–पुस्तकों के स्टाक का अधिग्रहण

4–(1) जहां विहित प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यापारी ने, चाहे अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से या उसकी भागीदारी में, किन्हीं पाठ्य–पूस्तकों का संग्रह किया हे या संग्रह जारी रखा है या संग्रह के लिये अर्जन किया है, वहां विहित प्राधिकारी आदेश द्वारा, उससे यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह संपूर्ण स्टाक या उसके विनिर्दिष्ट भाग को राज्य सरकार को या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को अधिसूचित मूल्य पर और ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर जिसे वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, बेच दें।

(2) जहां कोई व्यक्ति, जिसके विरूद्ध उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश दिया जाय, उसका अनुपालन करने में विफल रहता है, वहां विहित प्राधिकारी, यथास्थिति, पाठ्य–पुस्तक का ऐसा स्टाक या उसका भाग अपनी अभिरक्षा में ग्रहण कर या करवा सकेगा और ऐसा स्टाक या उसका भाग राज्य साकार को या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को जिसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो, दे या दिलवा सकेगा और व्यापारी को उसके अधिसूचित मूल्य का भूगतान करा सकेगा ।

मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा पाठय–पुस्तक विहित करने पर निर्बन्धन

5–विहित प्राधिकारी इस अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करनेकी दृष्टि से या अपना यह समाधान करने की दृष्टि से कि इस अधिनियम का अनुपालन किया गया है या नहीं––

सूचना या आंकड़ें संग्रह, प्रवेश, तलाशी या अभिग्रहण की शक्ति

6–विहित प्राधिकारी इस अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से या अपना यह समाधान करने की दृष्टि से कि इस अधिनियम का अनुपालन किया गया है या नहीं––

(क) किसी व्यक्ति से कोई विवरण देने या कोई सूचना या आंकड़े प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा ;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके सम्बन्ध में यह विश्वास हो की वह व्यापारी है, अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपने कारोबार से या अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण में रहने वाली पाठ्य–पुस्तकों के स्टाक से, सम्बद्ध ऐसी बही, लेखा और अभिलेख जो विनिर्दिष्ट किये जायें, रखे और निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करे ;

(ग) किसी व्यापारी से या किसी व्यापारी द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण में रहने वाली पाठ्य–पुस्तकों के स्टाक से सम्बद्ध ऐसी बही, लेखा और अन्य दस्तावेज, जो विनिर्दिष्ट किये जायें, प्रस्तुत करे ;

(घ) किसी बही, लेखा या अन्य दस्तावेज का जो ऐसे अधिकारी की राय में इस अधिनियम के उल्लघंन के सम्बन्ध में किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत हो, परीक्षण और अभिग्रहण कर सकेगा और ऐसी बही, लेखा और अन्य दस्तावेज को, उनकी प्रतिलिपियों या उनके उद्धरण लेने और उन्हें अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करने के पश्चात् उस व्यक्ति को लौटा सकेगा जिससे वे अभिगृहीत किये गये हों ; या

(ङ) किसी भू–गृहादि, गाड़ी या जलयान की तलाशी ले सकेगा और उसमें पायी गयी किन्ही पाठ्य–पुस्तकों की तालिका तैयार कर सकेगा या ऐसी किन्ही पाठ्य–पुस्तकों को अभिगृहित कर सकेगा जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है और तत्पश्चात् ऐसी समस्त कार्यवाहीयाँ कर सकेगा या करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगा जो इस प्रकार अभिग्रहीत स्टाक को किसी न्यायालय में पेश किये जाने को सुनिश्चित करने के लिये और इस प्रकार पेश किये जाने तक उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए आवश्यक हो।

पाठ्य–पुस्तकों का मूल्य अधिसूचित करने की राज्य सरकार की शक्ति

7–राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा उस आदेश में विनिर्दिष्ट या पाठ्य–पुस्तकों का उचित मूल्य निश्चित कर सकती है ।

शास्ति

8–यदि कोई व्यक्ति धारा 3 उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो वह ––

(एक) उक्त धारा की उपधारा (1) का उल्लंघन करने की स्थिति में ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो एक वर्ष तक हो सकती है और जुर्माना से भी, और

(दो) किसी अन्य उल्लघंन की स्थिति में, ऐसी अवधि के लिए कारावास से जो तीन वर्ष तक हो सकती है, और जुर्माना से भी, दण्डनीय होगा ।

प्रयास और दुष्प्रेरण

9–किसी व्यक्ति को जो इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लघंन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करता है, अधिनियम का उल्लंघन करने वाला समझा जायेगा ।

मिथ्या कथन

10–यदि कोई व्यक्ति –

(एक) जब उससे धारा 6 के अधीन किसी आदेश द्वारा कोई विवरण देने या कोई सूचना या आंकड़े प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाय, कोई ऐसा विवरण देता है या कोई ऐसी सूचना या आंकड़े प्रस्तुत करता है जो तात्विक विशिष्ट में मिथ्या है और जिसको मिथ्या होने का उसे ज्ञान है या जिसको मिथ्या मानने का उसके पास युक्ति युक्त कारण है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, या

(दो) किसी बही, लेखा, अभिलेख, घोषणा विवरणी या अन्य दस्तावेज में जिसे किसी ऐसे आदेश द्वारा रखने या प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी हो उपर्युक्त प्रकार का कोई विवरण देता है ,

तो वह ऐसी अवधि के लिये कारावास से, जो तीन वर्ष तक हो सकती है या जुर्माना से या दोनों से दण्डनीय होगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध

11–(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और ऐसी प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी के कार्य–संचालन के लिए उसका प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी था, उस अपराध का अपराधी माना जायगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा ;

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा जो यह साबित कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था या उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जब इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह साबित हो जाय कि अपराध उस कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मानानुमति से किया गया है या उसकी ओर से कोई उपेक्षा किये जाने के कारण हुआ है, तो वह निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का अपराधी माना जायगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए––

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी सम्मिलित है ; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, "निदेशक" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

अपराधों का संज्ञेय और जमानती होना

12–दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय और जमानती होगा ।

अधिनियम के अधीन सिद्ध–दोष कम्पनियों के नाम, कारोबार का स्थान आदि प्रकाशित करने की न्यायालय की शक्ति

13–(1) जहां किसी कम्पनी को इस अधिनियम के अधीन सिद्ध–दोष ठहराया जाय, वहां कम्पनी को सिद्ध–दोष ठहराने वाला न्यायालय इस बात के लिये सक्षम होगा कि वह कम्पनी का नाम, कारोबार का स्थान, उल्लंघन का प्रकार, यह तथ्य कि कम्पनी को इस प्रकार सिद्ध–दोष ठहराया गया है और ऐसे अन्य ब्योरे जिन्हे न्यायालय मामले की परिस्थितियों में समुपयुक्त समझे, कम्पनी के व्यय पर ऐसे समाचार–पत्रों में या ऐसी अन्य रीति से जैसा न्यायालय निर्देश दे, प्रकाशित करायें।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई प्रकाशन तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील करने की अवधि अपील किये बिना व्यतीत न हो गयी हो, या यदि अपील की गई हो तो उसका निस्तारण न कर दिया गया हों ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी प्रकाशन का व्यय कम्पनी से इस प्रकार वसूल किया जायेगा मानों वह न्यायालय द्वारा आरोपित जुर्माना हो।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिये कम्पनी का वही अर्थ है जो धारा 11 के स्पष्टीकरण के खण्ड (क) में दिया गया है ।

अपराधों का संज्ञान

14–कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डीय किसी अपराध के संज्ञान ऐसी लिखित रिपोर्ट के सिवाय नहीं करेगा जो जिला मजिस्ट्रेट के, या अन्य ऐसी अधिकारी के, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा शक्ति प्रदान करे, आदेश से या प्राधिकार के अधीन, उन तथ्यों के सम्बन्ध में जिनसे ऐसा अपराध बनता हो, दी गई हो ।

जुर्माने के संबंध में विशेष उपबंध

15–दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 29 में किसी बात के होते हुये भी, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिये, जिसे इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से शक्ति प्रदान की जाय, धारा 3 का उल्लंघन करने वाले किसी सिद्ध–दोष व्यक्ति को पांच हजार रूपये से अधिक जुर्माने का दण्डादेश देना विधिपूर्ण होगा।

अधिनियम के अधीन किये गये कार्य का संरक्षण

16–(1) किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए जो धारा 3 के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई बाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

(2) राज्य सरकार के विरूद्ध किसी ऐसी क्षति के लिए जो किसी ऐसे कार्य से हुई या संभावित हो, जो इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो, या किये जाने के लिए आशरित हों, कोई वाद, या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।